उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 22.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया जा रहा महिला जागरूकता/सशक्तिकरण अभियान-

बेटियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना ही मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य-

महिलाओं / बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में जागरुक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से "मिशन शक्ति" अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के थानों की एंटी रोमियो टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों/बीटों/स्कूल/कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओ/बलिकाओं से संवाद कर उन्हें महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने सीयूजी नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया। वर्तमान समय मे हो रहे विभिन्न तरीकों के साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गयी। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अपने आस-पास के लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरुक करें और उन्हें बतायें कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 1930/112 पर दें जिससें समय रहते ही तत्काल अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारियों की समीक्षा कर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आज दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु की जा रही चुनाव संबंधी तैयारियों/व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई एवं समस्त बूथों का भौतिक निरीक्षण करके आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे- बिजली, पानी, शौचालय आदि व मतदान केन्द्रों पर सुगम आवागमन व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।

- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर पुलिस टीमों द्वारा पूर्व के चुनावों में घटित घटनाओं की समीक्षा की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने वाले संभावित अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने, हिस्ट्रीशीटरों की जांच कर सक्रिय एचएस के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियोंकिसी भी प्रकार के मुकदमें के अभियुक्तों के शस्त्र / जमा कराने की कार्यवाही करने, गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करने, अवैध शराब के निष्कर्षण, ब्रिकी व परिवहन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, पुलिस के मददगार व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे लगाकर संपर्क में रहकर लाभप्रद सूचनायें संग्रहित करने व नियमित रुप से पैदल गश्त कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने व संभ्रान्त लोगों के साथ परस्पर संवाद कायम रखते हुए क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण में मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई टीम उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार मय हमराह कां0 नरेन्द्र बाबू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त भूरा कुशवाहा पुत्र सेवा कुशवाहा उम्र 40 वर्ष नि0ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की जामातलाशी पर कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 79/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

भूरा कुशवाहा पुत्र सेवा कुशवाहा उम्र 40 वर्ष नि0ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 नरेन्द्र बाबू

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकिशन यादव मय हमराह कां0 बृजेश कुमार गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0नं0 457/2020 क्राईम नं. 543/16 धारा 135 विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त जगदीश पुत्र राजाराम उम्र 38 वर्ष नि0 AMS पब्लिक स्कूल बीला रोड, थाना कबरई जनपद महोबा को AMS पब्लिक स्कूल के पास बीला रोड कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2. कां0 बृजेश कुमार गौतम

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगदीश पुत्र राजाराम उम्र 38 वर्ष नि0 AMS पब्लिक स्कूल बीला रोड, थाना कबरई जनपद महोबा।

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गई उ0नि0 आशिक अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान थाना कोतवाली महोबा में पंजीकृत मु0अ0सं0-506/2023 धारा 354/504/506/376 भादवि व 3(1)द, ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लल्लू कुशवाहा पुत्र मुखिया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ग्योढ़ी थाना खन्ना जिला महोबा को थाना क्षेत्रअन्तर्गत हमीरपुर चुंगी महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

आपराधिक विवरण व गिरफ्तार अभियुक्तः-

मु0अ0सं0- 506/2023 धारा 354/504/506/376 भादवि व 3(1)द, ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लल्लू कुशवाहा पुत्र मुखिया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम ग्योढ़ी थाना खन्ना जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 आशिक अली थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

2.कां0 अभय कुमार पटेल

थाना कोतवाली महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने फायरिंग से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय जिन्दा/खोखा कारतूस किये गये बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत हुए मु0अ0सं0-139/2024 धारा 153(क)(2)/504/286 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षक अपराध श्री निर्मल कुमार बाजपेयी व उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.मनीष अहिरवार उम्र 19 वर्ष पुत्र करन अहिरवार निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा को राठ चुंगी महोबा से तथा अभियुक्त 2.मोन्टी वर्मा पुत्र सोहन लाल वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को बीएसएनएल टवार तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया इस दौरान अभियुक्त मोन्टी वर्मा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 147/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.मनीष अहिरवार उम्र 19 वर्ष पुत्र करन अहिरवार निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

2.मोन्टी वर्मा पुत्र सोहन लाल वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला भीतरकोट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1.अपराध निरीक्षक निर्मल कुमार बाजपेयी थाना कोतवाली महोबा

2.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा प्रभारी चौकी बजरिया कोत. महोबा

3.हे0कां0 मुन्नालाल यादव 4.कां0 हरीओम

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत परिवहन विभाग व यातायात पुलिस टीम महोबा द्वारा मां चन्द्रिका बालिका महाविद्यालय में यातायात जागरुकता कार्यशाला का किया गया आयोजन, मौजूद छात्राओं एवं अध्यापकों को यातायात के नियमों का पढाया पाठः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने तथा जनपद महोबा में होने वाली विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के लिये ए.आर.टी.ओ. श्री सुनील दत्त यादव व प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न चिन्हित स्थलों में नियमित अभियान चलाया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों व अन्य सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 22 मार्च 2024 को मां चंद्रिका बालिका महाविद्यालय जनपद महोबा में आयोजित "सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा" कार्यक्रम में ए.आर.टी.ओ. महोबा श्री सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता व प्रभारी यातायात, श्री सुनील कुमार सिंह एवं सहयोगी यातायात अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यातायात जागरुकता कार्य़शाला में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियम एवं आचरण से अवगत कराया गया तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई।

कार्य़शाला में जागरुक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक वाहन चालक को वाहन चलाते समय हेलमेट/शीटबेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। मार्ग पर अपनी निर्धारित लेन का प्रयोग करना चाहिए तथा वाहन चलाते समय किसी भी दशा में मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से यातायात जनजागरुकता अभियान चलाया जाता है। यातायात नियमों की जानकारी और उसकी महत्वतता बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है इसलिए वाहन चलाते समय बायीं ओर चले, अचानक न मुडें, दो-पहिया वाहन में तीन सवारी न बैठायें, ओवरटेक करते समय पूरी सावधानी रखें, मोबाइल प्रयोग व नशा कदापि न करें।